मैसर्स नव आरूषी ट्रेडर्स (प्रा0) लि0 के पक्ष में स्वीकृत गाटा सं0–356 का भाग, (खण्ड न0–1) ग्राम–खपटिहा कला, तहसील–पैलानी, जनपद–बॉदा (उ0प्र0) में क्षेत्रफल 16.00 हे0, (प्रस्तावित क्षमता 3,20,000 घन मी0/वर्ष) उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के संबंध में दिनांक–13–02–2019 को प्रस्तावित परियोजना स्थल के समीप स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर, छनिहन डेरा, ग्राम–खपटिहा कला, तहसील–पैलानी, जनपद बॉदा (उ0प्र0) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक परियोजना प्रस्तावक श्री रामपाल सिंह पुत्र जगत सिंह, निवासी–मकान न0–157 सी फ्रेंडस कालोनी सिविल लाइन इटावा, (उ0प्र0) से **मैसर्स नव आरूषी ट्रेडर्स (प्रा0) लि0 के पक्ष में स्वीकृत गाटा सं0–356 का भाग, (खण्ड न0–1) ग्राम–खपटिहा कला, तहसील–पैलानी, जनपद–बॉदा (उ0प्र0)** आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड के पत्र संख्या–एच 30159/सी–2/एनओसी–4375/बॉदा/18 दिनांक 24.12.2018, जो कि जिलाधिकारी जनपद–बॉदा को सम्बोधित तथा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा एवं अन्य को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी जनपद–बॉदा द्वारा लोक सुनवाई हेतु अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) जनपद–बॉदा को अधिकृत करने के उपरान्त अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), अध्यक्ष लोक सुनवाई जनपद–बॉदा द्वारा उपरोक्त संदर्भित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति की लोक सुनवाई के आयोजन हेतु दिनांक 13.02.2019 को अपरान्ह 03.00 बजे प्रस्तावित परियोजना स्थल के समीप ग्राम खपटिहा कला, तहसील–पैलानी, जनपद–बॉदा नियत की गई थी। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना आख्या की एक–एक प्रति अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय बॉदा, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, बॉदा एवं जिला पंचायत कार्यालय बॉदा में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु उपलब्ध कराई गई थी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–-1533 दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व दैनिक समाचार पत्र "आज" (हिन्दी) एवं दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस' (अंग्रेजी) के बॉदा के अंक में दिनांक 29.12.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), अध्यक्ष लोक सुनवाई जनपद–बॉदा की अध्यक्षता में उक्त लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 13.02.2019 को प्रस्तावित परियोजना स्थल के समीप स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर, छनिहन डेरा, ग्राम खपटिहा कला, तहसील–पैलानी, जनपद–बॉदा में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नांकित लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री संतोष बहादुर सिंह, अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) अध्यक्ष लोक सुनवाई, जनपद–बॉदा।
2. श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा।
3. श्री शिवमंगल टंकक लिपिक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा।
4. श्री अतुलेश सीनियर एक्जिक्यूटिव अधिकृत प्रतिनिधि परामर्शी मैसर्स ई0एन0वी0 डी0ए0एस (इंडिया) प्रा0लि0, डी–2247, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Mishra

Scanned by CamScanner

डा. प्रकाश लाल भू–वैज्ञानिक परामर्शी मैसर्स ई0एन0वी0 डी0ए0एस (इंडिया) प्रा0लि0, डी–2247, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

6. श्री ऋषभ वर्मा टीम सदस्य परामर्शी मैसर्स ई0एन0वी0 डी0ए0एस (इंडिया) प्रा0लि0, डी–2247, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

7. श्री राम पाल सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी–हाउस नं0 157सी, फ्रेंड्स कालोनी सिविल लाइन इटावा, (उ0प्र0) परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नव आरूपी ट्रेडर्स प्रा0लि0 **गाटा सं0–356 का भाग (खण्ड न0–1)_ग्राम–खपटिहा कला, तहसील–पैलानी, जनपद–बॉदा (उ0प्र0)।**

उपरोक्त के अतिरिक्त लोक सुनवाई के समय प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित गॉव के ग्रामवासी भी उपस्थित थे।

उपरोक्त सम्बन्धित लोक सुनवाई को प्रारम्भ किये जाने की अनुमति अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) अध्यक्ष लोक सुनवाई जनपद–बॉदा से प्राप्त करने के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं उपस्थित जनसमुदाय का अभिवादन/स्वागत किया गया तथा उपरोक्त प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में सम्बन्धित विवरण से अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य केन नदी के किनारे स्थित **गाटा सं0–356 का भाग (खण्ड न0–1)_ग्राम–खपटिहा कला, तहसील–पैलानी, जनपद–बॉदा (उ0प्र0)** के क्षेत्रफल 16.00 हे0, (प्रस्तावित क्षमता 3,20,000 घन मी0 प्रति वर्ष) में प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित परियोजना के प्रस्तावक श्री रामपाल सिंह पुत्र जगत सिंह, निवासी–मकान न0–157 सी फ्रेंडस कालोनी सिविल लाइन इटावा, (उ0प्र0) है, जो कि उक्त लोक सुनवाई के समय बैठक में उपस्थित थे।

उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट असिसमेन्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मैसर्स ई0एन0वी0 डी0ए0एस0(इंडिया) प्रा0लि0 डी–2247, इंदिरा नगर लखनऊ (उ0प्र0) को परामर्शी नियुक्त किया गया है। उक्त लोकसुनवाई के समय श्री अतुलेश सीनियर एक्जिवक्यूटिव अधिकृत प्रतिनिधि परामर्शी मैसर्स ई0एन0वी0 डी0ए0एस (इंडिया) प्रा0लि0, डी–2247, इन्दिरा नगर, लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण/सर्वेक्षण आदि से अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया गया।

श्री अतुलेश सीनियर एक्जिवक्यूटिव अधिकृत प्रतिनिधि परामर्शी मैसर्स ई0एन0वी0 डी0ए0एस0(इंडिया) प्रा0लि0 डी–2247, इंदिरा नगर लखनऊ (उ0प्र0) द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त संदर्भित प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी जनपद–बॉदा के पत्र संख्या 2382/खनिज–30 बॉदा दिनांक 13.09.2018 के द्वारा सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) सशर्त निर्गत किया गया है, इसके अतिरिक्त उपरोक्त संदर्भित प्रस्तावित परियोजना को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण समिति उ0प्र0 में प्रस्तुतिकरण के पश्चात पत्र संख्या–690/Parya/SEAC/4566/2017 dated 15th February, 2019 टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टोर) प्रदान किया गया है जिसके आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट तथा पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनाई गई है। जिसके अनुसार उक्त

Scanned by CamScanner

वित परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य **केन नदी** के किनारे स्थित गाटा सं0–356 का भाग ड सं0–1, क्षेत्रफल 16.00 हे0, उत्पादन क्षमता 3,20,000 घन मी0 प्रति वर्ष ग्राम–खपटिहा कला, हसील–पैलानी, जनपद–बॉदा (उ0प्र0) है। इनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना स्थल से 10 किमी0 की त्रिज्या में स्थित पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आंकडों के एकत्रण का कार्य स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट अथॉरिटी द्वारा दी गयी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स के बिन्दुओं के अनुरूप की गयी थी तथा उक्त आंकडों के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी थी।

उक्त संदर्भित प्रस्तावित परियोजना का खनन क्षेत्र–केन नदी, के समीप स्थित है। संदर्भित क्षेत्र पारिस्थितिकीय संवेदनशील स्थान (वन्यजीव अभ्यारण, राष्ट्रीय उद्यान, बायोलाजिकल रिजर्व, अन्य जीव कोरिडोर) से 10.0 किमी0 के परिधि के बाहर स्थित है। प्रस्तावित परियोजना के प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विभिन्न घटकों का आधारभूत अध्ययन किया गया तथा सम्बन्धित क्षेत्र में पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न घटकों वायु की गुणता एवं ध्वनि स्तर की जॉच की गयी है तथा सतही जल, भूजल एवं मृदा के नमूने एकत्रित कर सम्बन्धित गुणता की जांच की गयी। जिसके अनुसार आकडे निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये।

उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को प्रदूषित न किया जाये तथा जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को कम करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। उक्त संदर्भित परियोजना में जल की आवश्यकता–12.94 के0एल0डी0, होगी तथा लगभग 70 श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रयुक्त वाहनो के परिवहन हेतु प्रयोग किये जाने वाली सडकों की मरम्मत एवं रख–रखाव संदर्भित परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय–समय पर वायु (धूल) उत्सर्जन श्रोतो पर जल छिडकाव का कार्य भी किया जायेगा। बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को कार्यावधि के अन्तराल में सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। सी0ई0आर0 के अंतर्गत कुल परियोजना लागत का 2 प्रतिशत धनराशि रू0 28,55,000.00 (रू0 अट्ठाइस लाख पचपन हजार मात्र) को स्थानीय प्रधान/प्रशासन की देख–रेख में निर्देशानुसार ग्राम विकास के कार्य जैसे– गोवंश के संरक्षण, हैण्डपम्प, सोलर लाइट, निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक विद्यालय भवन की मरम्मत एवं शौचालय आदि के वृक्षारोपण लगभग 80 पेड पौधो का रोपड आदि के कार्य कराये जायेगें। इस प्रकार उपरोक्त प्रस्तावित परियोजना के संचालन से खनन क्षेत्र के समीपवर्ती ग्रामवासियों/क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा जिसके फलस्वरूप क्षेत्र के वातावरण एवं ग्रामीणों के रहन सहन में सुधार होगा।

उपरोक्त के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा द्वारा लोक सुनवाई के समय उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने शिकायते/आपत्तियां/सुझाव आदि प्रस्तुत किये जाने हेतु आमंत्रित किया गया।

प्रश्नः1–श्री जगन्नाथ पुत्र श्री उमाकांत निषाद सिंह, छनिहन डेरा, ग्राम– खपटिहा कला, तहसील–पैलानी जनपद–बॉदा द्वारा अवगत कराया गया कि अन्ना जानवर की समस्या व्याप्त है जिसके

Scanned by CamScanner

गण किसानो की फसलों को क्षति पहुंच रही है इसलिए सी०ई०आर० के अन्तर्गत प्रविधानित परियोजना की कुल लागत की 2 प्रतिशत में से ग्राम में स्थित गोशाला में गायों के संरक्षण के लिए चारा–पानी की व्यवस्था की जाए।

उत्तर– श्री अतुलेश सीनियर एक्जिक्यूटिव अधिकृत प्रतिनिधि परामर्शी मैसर्स ई०एन०वी० डी०एन०एस० (इंडिया) प्रा०लि० डी–2247, इंदिरा नगर लखनऊ (उ०प्र०) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना के प्रारम्भ होने पर कराया गया कि क्षेत्र में व्याप्त अन्ना जानवर की समस्या के निराकरण के लिए सी०ई०आर० के अन्तर्गत प्रविधानित परियोजना की कुल लागत की 2 प्रतिशत में से ग्राम में स्थित गोशाला में गायों के संरक्षण के लिए चारा–पानी की व्यवस्था की जाएगी।

प्रश्न 2– श्री भरत लाल निषाद पुत्र श्री रामअवतार निषाद ग्राम– खपटिहा कला, तहसील–पैलानी जनपद–बाँदा द्वारा अवगत कराया गया कि गांव मे स्थित प्राथमिक विद्यालय छनिहाडेरा, क्षेत्र तिंदवारी तहसील पैलानी, जिला बाँदा की बाउंड्री नही है जिसके कारण विद्यालय मे उपस्थित छात्र–छात्राओं की उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था नही है किसी भी समय दुर्घटना घट सकती है उक्त की रोकथाम हेतु विद्यालय की बाउन्ड्री करवायी जाये।

उत्तर– श्री अतुलेश सीनियर एक्जिक्यूटिव अधिकृत प्रतिनिधि परामर्शी मैसर्स ई०एन०वी० डी०एन०एस०(इंडिया) प्रा०लि० डी–2247, इंदिरा नगर लखनऊ (उ०प्र०) द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय मे उपस्थित छात्र–छात्राओं की उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था की रोकथाम हेतु विद्यालय की बाउन्ड्री करायी जायेगी।

प्रश्न 3– श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री गया प्रसाद सिंह छनिहन डेरा, ग्राम–खपटिहा कला तहसील–पैलानी जनपद–बाँदा द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य से हम लोगों को कोई आपत्ति नही है बशर्ते समीपवर्ती गॉव के लोगों को ही रोजगार मिलना चाहिए इसमें बाहरी लोगों को यथासम्भव न लगाया जाय क्योंकि गॉव के ही लोग बेरोजगार की स्थित में पडे हुए है।

उत्तर– श्री अतुलेश सीनियर एक्जिक्यूटिव अधिकृत प्रतिनिधि परामर्शी मैसर्स ई०एन०वी० डी०एन०एस०(इंडिया) प्रा०लि० डी–2247, इंदिरा नगर लखनऊ (उ०प्र०) द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य मे गॉव के समीपवर्ती लगभग 70 लोगों को ही योग्यता एवं दक्षता के आधार पर रोजगार दिये जाने में वरीयता दी जायेगी इसमें बाहरी लोगों को यथासम्भव नही लगाया जायेगा।

प्रश्न 4– श्री गंगा प्रसाद पुत्र श्री शिवदास ग्राम–छनिहन डेरा, खपटिहा कला, तहसील –पैलानी, जनपद–बाँदा द्वारा सुझाव दिया कि सम्बन्धित खनन में उपयोग वाहन(ट्रक इत्यादि) के आवागमन से गॉव की सड़को तथा आस–पास के क्षेत्रों में धूल इत्यादि उडेगी तथा सम्बन्धित क्षेत्र मे स्थित फसलो को क्षति पहुंचेगी एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पडेगा। जिसकी रोकथाम हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जाय।

उत्तर– श्री अतुलेश सीनियर एक्जिक्यूटिव अधिकृत प्रतिनिधि परामर्शी मैसर्स ई०एन०वी० डी०एन०एस०(इंडिया) प्रा०लि० डी–2247, इंदिरा नगर लखनऊ (उ०प्र०) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित परिवहन मार्गो पर दिन में कम से कम दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा समीपवर्ती प्रभावित फसलों के सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन को सूचित करने पर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उचित मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न 5– श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री संतोष कुमार ग्राम–छनिहन डेरा, खपटिहा कला, तहसील –पैलानी, जनपद– बाँदा द्वारा सुझाव दिया कि खनन कार्य में उपयोग किये जाने वाले वाहनो (ट्रक

Scanned by CamScanner

दि) के परिवहन समीपवर्ती गांव की आबादी के बाहर से किया जाये जिससे कि गॉव की सड़क को होने वाली क्षति से रोका जा सके।

उत्तरः– श्री अतुलेश सीनियर एक्जिवक्यूटिव अधिकृत प्रतिनिधि परामर्शी मैसर्स ई0एन0वी0 डी0ए0एस0(इंडिया) प्रा0लि0 डी–2247, इंदिरा नगर लखनऊ (उ0प्र0) द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य में उपयोग किये जाने वाले वाहनो (ट्रक इत्यादि) का परिवहन समीपवर्ती गांव की आबादी के बाहर से अलग से निर्मित सम्पर्क मार्ग से किया जायेगा जिससे कि गॉव की सड़क को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति से रोका जा सकेगा । इसके अतिरिक्त समीपवर्ती गांव की आबादी के आसपास से सम्बन्धित वाहनो का परिवहन धीमी गति से किया जायेगा। हार्न का प्रयोग कम से कम किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री रामपाल सिंह पुत्र जगत सिंह, निवासी–मकान न0–157 सी फ्रेंडस कालोनी सिविल लाइन इटावा, (उ0प्र0) द्वारा आश्वासन दिया गया कि खनन परियोजना प्रारम्भ होने के उपरान्त समीपवर्ती ग्रामीणों को ही योग्यता एवं क्षमता के अनुसार लगभग 70 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। सम्बन्धित सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य भी समय–समय पर किया जायेगा। सम्बन्धित सम्पर्क मार्ग पर यातायात से उत्सर्जित धूल के नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार पानी का छिडकाव किया जायेगा। सम्बन्धित सम्पर्क मार्ग के किनारे एवं उपलब्ध खाली खाली भूमि पर यथासंम्भव वृक्षारोपड किया जायेगा। समीपवर्ती गांव के लोगों के पेय जल की व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थलो पर हैण्ड पम्प, सोलर लाइट एवं शौचालय की व्यवस्था सी0ई0आर0 के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के द्वारा सम्बन्धित प्रधान/सचिव आदि से समन्वय स्थापित कर किया जायेगा। सम्बन्धित गॉव में सार्वजनिक स्थल पर भूमि उपलब्ध होने पर गौशाला के निर्माण तथा सम्बन्धित पशुओं के चारा पानी की व्यवस्था हेतु यथासम्भव सहयोग किया जायेगा। इस प्रकार समीपवर्ती ग्रामीण लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। सम्बन्धित खनन कार्य को नियमानुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना नही की जायेगी।

उक्त के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अध्यक्ष लोक सुनवाई जनपद–बॉदा द्वारा निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा गोवंश संरक्षण हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है जिसका उपयोग गोवंश संरक्षण के लिए किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस कार्य में सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक को भी यथासंभव योगदान करना चाहिए। परियोजना के प्रस्तावक द्वारा नदी की जल धारा से खनन कार्य नही किया जाये तथा नदी के किनारों से छेडछाड भी नही किया जाये, भूजल स्तर से ऊपर ही नियमानुसार खनन कार्य किया जाये। प्रस्तावित परियोजना की अवधि 05 वर्ष हेतु है इसलिए प्रस्तावित वृक्षारोपड के कार्य अधिकांशतः प्रथम वर्ष में ही किया जाये जिससे कि प्रस्तावित परियोजना की अवधि समाप्ति के समय रोपित किये गये वृक्षों की पर्याप्त वृद्धि ,सुरक्षा एवं रख–रखाव के दृष्टिकोण से उनका संरक्षण किया जाना सम्भव हो सके। ग्रामीण सम्पर्क मार्ग को सुरक्षित रखा जाय जिससे कि समीपवर्ती ग्राम वासियों का आवागमन बाधित न हो।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अध्यक्ष लोक सुनवाई जनपद–बॉदा द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित परियोजना में सैण्ड/मौरम के माइनिंग तथा परिवहन हेतु सम्बन्धित ग्रामवासियों को भी नियमानुसार परोक्ष/अपरोक्ष रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाय। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य वैधानिक रूप से ही किया जाये जिससे कि नदी की जलधारा को स्वच्छ रखना, शौचालय एवं पेय जल की उपयुक्त व्यवस्था की जाय। प्रस्तावित परियोजना के संचालन के समय उत्पन्न ठोस अपशिष्ठ (प्लास्टिक/घरेलू अपशिष्ठ) के एकत्रण उपचार एवं निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था की जाये तथा बायो

8

Scanned by CamScanner

डिबिल प्रकार की वस्तुओं का ही खाद्य एवं पेय पदार्थ के लाने ले जाने में प्रयोग किया जाय। ...तावित स्थल का वांछित पर्यावरणीय स्वीकृति के उपरान्त चिन्हांकन हेतु उपयुक्त मात्रा में पिलर ...थापित कर फैन्सिग का कार्य जाय तथा सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना के नाम, स्थल एवं अन्य विवरण का बोर्ड लगाया जाय इसके अतिरिक्त सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा/स्कैनर आदि की भी व्यवस्था की जाये।

अन्त में उपरोक्त मन्तव्य के साथ अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अध्यक्ष लोक सुनवाई जनपद–बॉदा से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद एवं लोक सुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय/ग्रामवासियों आदि का आभार प्रकट करते हुए उक्त प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई के बैठक के समापन की घोषणा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा द्वारा की गयी।

Mishra
13-2-2019
(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा।

13.02.19
(संतोष बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
/अध्यक्ष लोक सुनवाई
जनपद–बॉदा।

Scanned by CamScanner

...एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या —
का.आ. 1533 दिनांक 14/09/2006 यथासंशोधित के अनुपालन में
...नव आकर्षी ट्रेडर्स प्रा० लि० के पत्र में स्वीकृत प्रस्तावक श्री
...पाल सिंह पुत्र श्री जगत सिंह निवासी - मकान नं०-157 सी, फ्रेंड्स कालोनी
...सिविल लाइन, इटावा (उ.प्र) द्वारा साधारण बालू / मौरम खनन हेतु
प्रस्ताव पर परियोजना स्थल खाटा नं० भाग 356 (खण्ड नं०-01) का-
खपटिहा कला प्राथमिक विद्यालय जनपद बाँदा में आयोजित
लोकसुनवाई दिनांक 13-02-2019 के सम्बन्ध में उपस्थित अधिका-
री / कर्मचारियों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति का विवरण —

क्र० सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम / गांव	मो०	हस्ताक्षर
1	श्री सन्तोष बहादुर सिंह	अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)	9454417602	[illegible]
2.	श्री बी. के. मिश्रा	क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नि० बोर्ड बांदा	7839891916	Mishra 13/2/19
3.	डा० प्रभाकर लाल	[illegible] परामर्शी [illegible]	9450621717	[illegible]
4	श्री अतुलेश	ENV DASCD Pvt. Ltd. Lucknow	9838183300	Atulesh
5	नरपत्र वर्मा	ENV DAS (Team Member) Pvt. Ltd. - Lucknow	8948100010	Rishabh
6	रामपाल सिंह (परियोजना प्रस्तावक)	मे० नवआर्कषी ट्रेडर्स	9411941797	[illegible]
7	रूपा सिंह	फूलचन्द्र		रूपा सिंह
8	रामनरेश / बुद्दूराज	मद्दविर / श्रीपाल		रामनरेश 9400669581
9	Pritam nishad	Ramnishad	8429252697	Pritam nishad
10	जगतनरायन	द्वारिका प्रसाद	7408481118	[illegible]
	ललू	सन्तोष	6386601211	ललू
		राधेश्याम	7339877541	अनपेर

Scanned by CamScanner

	नाम व पद			
		शिवपालडेरा	99980882..	
	श्रीत कुमार	शिवपाल डेरा	969568359..	
	हेकुलाल	शिवपालडेरा	95595360..	
	रामकुमार	शिवपाल डेरा	9721232250	
	[illegible]रामा	शिवपाल डेरा	7080339394	
	[illegible]न्दलाल		6396586623	
	अमितकुमार	शिवपाल डेरा	6393989693	Ash..
	Ashish Rav	धनियाडेरा		
	अरविन्द	धनियाडेरा	9519375202	अर..
	गोरमोहम्मद	धनिहाडेरा		गौरमो..
	दयाराम	सिवपाल डेरा	—	दय..
	चुन्नू	रधपरीहा	—	चुन..
	मक्कू लाल	शिवपालडेरा	9695683599	मक्कू..
	रमाकिशोरी	धनिहाडेरा		रामकि..
	प्यारा	धनिहा डेरा	9935926309	प्यार..
	जगमाल	धनिहाडेरा	9580702460	जगमा..
	मुन्ना		—	मुन्ना..
	फूलचन्द	शिवपालडेरा		फूल..
30	रामशरन निषाद	धनिहाडेरा	9670460723	रामश..
31	तिशेरवर	धनिहाडेरा		तिशे..
32	चन्द्रभान			
33	शालय	शिवरामपुर		
34	जगरूप	धनिघाडेरा	~~8429469747~~	चन्द्रभा..
35	लखन	"	8953956258	संजय
36	रामपाली	"	—	जगरू..
37	[illegible]	"	"	लखन..
38	अनिल कुमार	—	"	रामपा..
39	भूपसिंह	शिव पाल डेरा	95733[illegible]	[signature]
40	पंकज	शिव पाल डेरा	8687013431	[signature]
41	वीरेन्द्र निषाद	खपटिहा कलां	7897366645	अमरपा..
42	Vijaya Lal [illegible]		6388918664	वीरेन्द्र
43	[illegible] Makdan	Khalilabad [illegible]	~~9506670820~~	[signature]
	[illegible]	खपटिहा कलां	8127332230	
			962[illegible]17[illegible]	

Scanned by CamScanner